

(राजस्थान-सरकार)
न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)
पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 78 / 2023

बउनवान
राज0 सरकार जयें खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों
(प्रार्थी)

- बनाम**
1. श्री राहुल राठौर पुत्र स्व. श्री शिवनारायण राठौर जाति तेली निवासी मोटर मार्केट, वार्ड नं. 1, केलवाड़ा जिला बारों(विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स अरविंद किराना स्टोर, विश्वकर्मा तिराहा, केलवाड़ा जिला बारों
 2. मैसर्स अरविंद किराना स्टोर, विश्वकर्मा तिराहा, केलवाड़ा जिला बारों
 3. श्री नवीन चंदेल पुत्र श्री प्रभूलाल चंदेल निवासी 842-43 नियर अकलंक स्कूल, बसंत विहार, दादाबाड़ी कोटा मैसर्स तिरुपति फूड्स, एसपी-3(टी) चंबल इण्डस्ट्रियल एरिया, कोटा
 4. मैसर्स तिरुपति फूड्स, एसपी-3(टी) चंबल इण्डस्ट्रियल एरिया, कोटा

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (1) 52 एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :- 1- श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2- स्वयं उपस्थित (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 05.12.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.03.2023 को मैसर्स अरविंद किराना स्टोर, विश्वकर्मा तिराहा, केलवाड़ा जिला बारों(राज.) पर पहुंचा। वहाँ श्री राहुल राठौर पुत्र स्व. श्री शिवनारायण राठौर(विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.12.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/ 2022/6235 दिनांक 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारों आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहाँ पर खाद्य पदार्थ **नमकीन(गुरुजी) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** के 05-06 किग्रा. बैक में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **नमकीन(गुरुजी) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा खाद्य पदार्थ **नमकीन(गुरुजी) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** के 04 मूल पॉली पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत श्री राहुल राठौर पुत्र स्व. श्री शिवनारायण राठौर(विक्रेता एवं मालिक) को 260/-रूपये (अक्षरे दो सौ साठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **नमकीन(गुरुजी) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** के चारों भागों पर अलग अलग लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-1738 दर्ज किये। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1738 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर करवाकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जापत्तों में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे कीमत श्री राहुल राठौर पुत्र स्व. श्री शिवनारायण राठौर(विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सीलड लिफाफे में स्वयं द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/163 दिनांक 13.04.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 502/PHL/kota/Act/2023/504 दिनांक 29.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **नमकीन(गुरुजी) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 27.10.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थीगण का जवाब बंद किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **नमकीन(गुरुजी) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि हमारे द्वारा खाद्य पदार्थ **नमकीन(गुरुजी) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** की पैकिंग की जाती है। प्रकरण में लेबोरेट्री की जांच रिपोर्ट अनुसार हमारे उत्पाद में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई। हमें वर्तमान पैकिंग नियमों की संपूर्ण जानकारी नहीं थी जिसको वर्तमान में सुधार कर लिया गया है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जांच हेतु कय किया गया खाद्य पदार्थ **नमकीन(गुरुजी) 500 ग्राम मूल पॉली पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 502/PHL/kota/Act/2023/504 दिनांक 29.03.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)C(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 80,000/- रुपये(अक्षरे अस्सी हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक में निर्धारित मद **0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियाँ, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **05.12.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारां (राज.)